रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2003/आश्विन 14, 1925
No. 488] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2003/ASVINA 14, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2003

सं. 144/2003—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 789(अ).—अभिहित प्राधिकारी, ने चीन जनवादी गणराज्य और रोमानिया में उद्गमित या वहां से निर्यात किए गए कैल्शियम कार्बाइड जिस पर की अधिसूचना सं0 77/2000-सीमाशुल्क, तारीख 26 मई, 2000 के अधीन प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया गया था, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 20 जून, 2003 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं0 15/1/2003-डीजीएडी के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की है और समीक्षा के सम्पन्न होने तक, प्रतिपाटन शुल्क को और छह महीने की अवधि के लिए बढाने का आग्रह किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ ।पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण। नियम 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 77/2000-सीमाशुल्क, तारीख 26 मई, 2000 [सा0का0नि0 494 (अ), तारीख 26 मई, 2000] में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में सारणी के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

" 2. यह अधिसूचना, जब तक कि अधिसूचना को पहले विखंडित न किया जाये, 7 अप्रैल, 2004, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक प्रभावी रहेगी । "

[फा० सं० 354/106/2003-टी.आर.यू.]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2003

No. 144/2003-CUSTOMS

G.S.R. 789(E).—WHEREAS the designated authority *vide* its notification No.15/1/2003-DGAD published in Part I, Section I of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 20th June, 2003, has initiated review in the matter of continuation of anti-dumping duty on Calcium carbide, originating in, or exported from, the People's Republic of China and Romania, imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.77/2000-Customs, dated the 26th May, 2000, and has requested for extension of anti-dumping duty for an additional period of six months, pending the completion of the review;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5), of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 77/2000-Customs, dated the 26th May, 2000, [G.S.R. 494 (E), dated the 26th May, 2000], namely:-

In the said notification, after the TABLE, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 7th day of April, 2004, unless the notification is revoked earlier.".

[F. No. 354/106/2003-TRU]

G. S. KARKI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2003

सं. 145/2003—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 790(अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2309 90 या टैरिफ मद 2936 28 00 के अंतर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए विटामिन ई के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, तारीख 3 दिसम्बर, 2002 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं0 14/32/2002-डीजीएडी, तारीख 2 दिसम्बर, 2002 में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि–

(क) चीन जनवादी गणराज्य से विटामिन ई (एसिटेट तथा फीडग्रेड) का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया था;

(ख) भारतीय उद्योग को तात्विक क्षति हुई थी;

(ग) यह क्षति चीन जनवादी गणराज्य से हुए पाटित आयातों के कारण हुई थी;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा0का0नि0 218 (अ), तारीख 17 मार्च, 2003 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 17 मार्च, 2003 में प्रकाशित, भारत सरकार के तदेन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 41/2003–सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 200 द्वारा विटामिन ई पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था ;

और अभिहित प्राधिकारी, अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं0 14/32/2002-डीजीएडी, तारीख 22 अगस्त, 2003 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 22 अगस्त, 2003 में प्रकाशित हुई, द्वारा इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि–

(क) चीन जनवादी गणराज्य से विटामिन ई (एसिटेट तथा फीडग्रेड) का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है;

(ख) भारतीय उद्योग को तात्विक क्षति हुई है;

(ग) यह क्षति चीन जनवादी गणराज्य से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है;

और, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए विटामिन ई के सभी आयातों पर, निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देशों में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उशीर्ष के अंतर्गत आते है, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है, और उक्त आयातित माल के, उसी करेंसी और प्रति मापन ईकाई में व्यक्त, अवतरण मूल्य, के बीच अंतर के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है ।

सारणी

क्रम सं0	उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	माल की विशिष्टता	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन ईकाई	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2936 28 00	विटामिन ई एसिटेट	96 प्रतिशत ग्रेड	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	22.64	किलोग्राम	अमरीकी डालर
2	2936 28 00	विटामिन ई एसिटेट	93 प्रतिशत ग्रेड	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	21.94	किलोग्राम	अमरीकी डालर
3	2309 90	विटामिन ई फीडग्रेड या सूखा पाउडर	50 प्रतिशत ग्रेड	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	11.32	किलोग्राम	अमरीकी डालर
4	2936 28 00	विटामिन ई एसिटेट	96 प्रतिशत ग्रेड	कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	22.64	किलोग्राम	अमरीकी डालर
5	2936 28 00	विटामिन ई एसिटेट	93 प्रतिशत ग्रेड	कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	21.94	किलोग्राम	अमरीकी डालर
6	2309 90	विटामिन ई फीडग्रेड या सूखा पाउडर	प्रतिशत ग्रेड	कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	11.32	किलोग्राम	अमरीकी डालर

टिप्पण:- ऊपर स्तंभ 9 के प्रयोजनों के लिए, स्तंभ 4 में निर्दिष्ट से भिन्न सांद्रता के लिए, राशि का गणन आनुपातिक आधार पर किया जायेगा

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख अर्थात् 17 मार्च, 2003 से उदगृहीत किया जाएगा और भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:– इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,–

(क) " अवतरण मूल्य " से ऐसा निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन निर्धारित किया गया हो और इसके अंतर्गत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3,धारा 3क, धारा 8ख धारा 9 और धारा 9क के अधीन उदगृहीत शुल्कों को छोडकर, सभी सीमाशुल्क आते हैं;

(ख) प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय–समय पर जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा० सं० 354/223/2002–टी.आर.यू.]
जी. एस. कार्की, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2003

No. 145/2003-CUSTOMS

G.S.R. 790(E).— WHEREAS in the matter of import of Vitamin E Acetate, falling under tariff item 2936 28 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and Vitamin E feed grade falling under sub-heading 2309 90 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the People's Republic of China, the designated authority *vide* its preliminary findings notification No. 14/32/2002-DGAD, dated the 2nd December, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 3rd December, 2003, had come to the conclusion that –

(a) Vitamin E (Acetate as well as Feed Grade) had been exported to India from the People's Republic of China below its normal value;

(b) the Indian industry had suffered material injury;

(c) the injury had been caused by the dumped imports from the People's Republic of China;

AND WHEREAS on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on Vitamin E (Acetate as well as Feed Grade) *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 41/2003–Customs, dated the 17th March, 2003, [G.S.R. 218(E), dated the 17th March, 2003], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 17th March, 2003;

AND WHEREAS the designated authority, *vide* its final findings notification No.14/32/2002-DGAD, dated the 22nd August, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22nd August, 2003, has come to the conclusion that -

(a) Vitamin E (Acetate as well as Feed Grade) has been exported to India from the People's Republic of China below its normal value;

(b) the domestic industry has suffered material injury;

(c) the injury has been caused by the dumped imports from the People's Republic of China;

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on all imports of Vitamin-E, originating in, or exported from, the People's Republic of China;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading or tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in the corresponding entry in column (4), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5) , and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), when exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equivalent to the difference between the amount as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table, and the landed value of such imported goods in like currency per like unit of measurement.

TABLE

S.No.	Sub-heading or tariff item	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2936 28 00	Vitamin E Acetate	96% Grade	People's Republic of China	Any country	Any producer	Any exporter	22.64	Kilogramme	US Dollar
2.	2936 28 00	Vitamin E Acetate	93% Grade	People's Republic of China	Any country	Any producer	Any exporter	21.94	Kilogramme	US Dollar
3.	2309 90	Vitamin E Feed Grade or Dry powder	50% Grade	People's Republic of China	Any country	Any producer	Any exporter	11.32	Kilogramme	US Dollar
4.	2936 28 00	Vitamin E Acetate	96% Grade	Any country	People's Republic of China	Any producer	Any exporter	22.64	Kilogramme	US Dollar
5.	2936 28 00	Vitamin E Acetate	93% Grade	Any country	People's Republic of China	Any producer	Any exporter	21.94	Kilogramme	US Dollar
6.	2309 90	Vitamin E Feed Grade or Dry powder	50% Grade	Any country	People's Republic of China	Any producer	Any exporter	11.32	Kilogramme	US Dollar

Note:- The amount for the purposes of column (9) above, for concentrations other than those specified in column (4), shall be calculated on pro rata basis.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied with effect from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, i.e. the 17th March, 2003, and shall be paid in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, -
(a) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act;
(b) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification, issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/223/2002-TRU]
G. S. KARKI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2003

सं. 146/2003—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 791(अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2907 12 10 के अंतर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए पेराक्रेसोल, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 17 जनवरी, 2003 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं0 14/29/2002-डीजीएडी, तारीख 17 जनवरी, 2003 में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि–

(क) चीन जनवादी गणराजय से पेराक्रेसोल का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया थ;

(ख) घरेलू उद्योग को तात्विक क्षति हुई थी;

(ग) यह तात्विक क्षति चीन जनवादी गणराज्य से हुए पाटित आयातों के कारण हुई थी;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा0का0नि0 232 (अ), तारीख 24 मार्च, 2003 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 24 मार्च, 2003 में प्रकाशित, भारत सरकार के तदेन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 46/2003–सीमाशुल्क, तारीख 24 मार्च, 2003 द्वारा पेराक्रेसोल पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था ;

और अभिहित प्राधिकारी, अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं0 14/29/2002-डीजीएडी, तारीख 25 अगस्त, 2003 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 25 अगस्त, 2003 में प्रकाशित हुई, द्वारा इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि–

(क) चीन जनवादी गणराजय से पेराक्रेसोल का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है;

(ख) घरेलू उद्योग को तात्विक क्षति हुई है;

ग। यह तात्विक क्षति चीन जनवादी गणराज्य से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है;

और, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए पेराक्रेसोल के सभी आयातों पर, निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देशों में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उशीर्ष के अंतर्गत आते है, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है, और उक्त आयातित माल के, उसी करेंसी और प्रति मापन ईकाई में व्यक्त, अवतरण मूल्य, के बीच अंतर के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है ।

सारणी

क्रम सं0	टेरिफ मद	माल का विवरण	माल की विशिष्टता	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन ईकाई	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2907 12 10	पेराक्रेसोल	कोई भी विशिष्टता	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	2220.95	मैट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	2907 12 10	पेराक्रेसोल	कोई भी विशिष्टता	कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	2220.95	मैट्रिक टन	अमरीकी डालर

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख अर्थात् 24 मार्च, 2003 से उदगृहीत किया जाएगा और भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:– इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,–

(क) " अवतरण मूल्य " से ऐसा निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन निर्धारित किया गया हो और इसके अंतर्गत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3,धारा 3क, धारा 8ख धारा 9 और धारा 9क के अधीन उदगृहीत शुल्कों को छोड़कर, सभी सीमाशुल्क आते हैं;

(ख) प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय–समय पर जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा० सं० 354/10/2003–टी.आर.यू.]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2003

No. 146/2003-CUSTOMS

G.S.R. 791(E).— WHEREAS in the matter of import of Para cresol, falling under tariff item 2907 12 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China, the designated authority *vide* its preliminary findings notification No. 14/29/2002-DGAD dated the 17th January, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 17th January, 2003,, had come to the conclusion that –

(a) Para cresol had been exported to India from the People's Republic of China below the normal value;
(b) the domestic industry had suffered material injury;
(c) the material injury had been caused by the dumped imports from the People's Republic of China;

AND WHEREAS on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on Para cresol *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 46/2003–Customs, dated the 24th March, 2003, [G.S.R. 232(E), dated the 24th March, 2003], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 24th March, 2003;

AND WHEREAS the designated authority, *vide* its final findings notification No. 14/29/2002-DGAD, dated the 25th August, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 25th August, 2003, has come to the conclusion that -

(a) Para cresol has been exported to India from the People's Republic of China below the normal value;
(b) the domestic industry has suffered material injury;
(c) the material injury has been caused by the dumped imports from the People's Republic of China;

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on all imports of Para cresol, originating in, or exported from, the People's Republic of China;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in the corresponding entry in column (4), originating in the countries as specified in the

corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), when exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equivalent to the difference between the amount as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table, and the landed value of such imported goods in like currency per like unit of measurement.

TABLE

S.No.	Tariff item	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2907 12 10	Para cresol	Any specification	People's Republic of China	Any country	Any producer	Any exporter	2220.95	Metric tonne	US Dollar
2.	2907 12 10	Para cresol	Any specification	Any country	People's Republic of China	Any producer	Any exporter	2220.95	Metric tonne	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied with effect from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, i.e. the 24th March, 2003, and shall be paid in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, -

(a) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act;

(b) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification, issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/10/2003-TRU]

G. S. KARKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.